27/10/25 पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी ने वाद के निर्णय तक यथास्थिति का आदेश जारी करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे में वाद के निर्णय तक दखलअन्दाजी नहीं करें। मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक कायम रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नैवर से कम हो तथा मूल वाद सं. 49/2023 के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.31 19:27:02 IST
Reason: SelfAttested